



कार्यालय आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX  
(EXEMPTIONS), AHMEDABAD

प्रथम मंजिल, रूम नं १११-११२, एनेक्सी, आयकर भवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद-३८०००९.  
Room No. 111-112, Annexy, Aaykar Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad  
(Tele & Fax: 079-27540915)

फा.सं.आ.आयु(छू.)/12एए/566/ECT/2015-16  
पैन/PAN : AAATE6101C

ता: 17.06.2015

ट्रस्ट का नाम/ Name of the Trust. :- ELDER CARE TRUST

A/102, Ameer Apartment,  
Nr. Prernathirth Derasar  
satellite,  
Ahmedabad-380015.

ORDER UNDER SECTION 12AA OF THE INCOME TAX ACT, 1961 IN THE CASE OF  
ELDER CARE TRUST

एल्डर केयर ट्रस्ट के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अंतर्गत आदेश

उक्त ट्रस्ट/संस्थान ने दिनांक 27.01.2015 को फॉर्म सं 10ए में आवेदन किया है ट्रस्ट का गठन/ निर्माण दिनांक 04.12.2014 को हुआ है और ट्रस्ट का चैरिटी कमिश्नर के पास पंजीकरण दिनांक 04.12.2014 का हुआ है।  
The above named Trust/Institution has filed an application in Form No. 10A on 27.01.2015. Which has been created / constituted on 04.12.2014 and registered with Charity Commissioner / Registrar of Society on 04.12.2014.

तदनुसार, ट्रस्ट/संस्थान को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के तहत 27.01.2015 से पंजीकृत किया जाता है।  
Accordingly, the Trust/Institution has been registered u/s. 12AA of the I.T. Act 1961, with effect from 27.01.2015 (i.e. F.Y.-2014-15 and A.Y. 2015-2016)

इस प्रमाण पत्र द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अंतर्गत केवल पंजीकरण किया गया है इससे धारा 11, 12 व 13 या आयकर अधिनियम 1961 के अन्य उपबन्धों के संचालन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है. इनके बारे में निर्धारण अधिकारी योग्यता के आधार पर निर्णय लेगा.

This certificate testifies to the fact of registration u/s. 12AA of the I. T. Act, 1961 only. It does not confer any right or entitlement regarding operation of Sections 11, 12, & 13 or any other provisions of the IT Act, 1961 which is to be decided by the Assessing Officer on merits.

आवेदक ने विघटन खंड के लिए संकल्प की एक प्रति एवं शपथपत्र दाखिल किया है।  
The applicant has filed a copy of resolution and affidavit regarding dissolution clause.  
अतः यह प्रमाण-पत्र निम्न शर्त के आधार पर जारी किया जाता है।  
Therefore, this Certificate is issued subject to following condition:

न्यास अपरिवर्तनीय होना चाहिए। हालांकि, कुछ कारणों से न्यास भंगीय है, उस स्थिति में सम्पत्ति किसी भी संस्थापक, मध्यस्थ, न्यासी, दाता अथवा सदस्य आदि को देय नहीं होगी किन्तु सम्पत्ति से सम्बन्धित दायित्व किसी अन्य न्यास को स्थानांतरित किया जा सकता है लेकिन गुजरात जन न्यास अधिनियम के प्रावधान अनुसार वह अन्य न्यास उसी तरह की क्रियाविधि में संलग्न होना चाहिए जैसा कि यह न्यास



(2)

**ELDER CARE TRUST**

*The trust should be irrevocable. However, for some reason trust is to be dissolved then no property would go to any founder, settler, trustee or donor, member etc but the properties after meeting liabilities would go to some other trust carrying on similar activities. The transfer of properties, if any, should be as per the provisions of Gujarat Public Trust Act.*

मेरे द्वारा अहमदाबाद में दिनांक 17.06.2015 को पंजीकरण नंबर AAATE6101C/01/15-16/T-0173/12AA Dated 17.06.2015 में जारी किया गया।

Given under my hand at Ahmadabad

Under registration no. AAATE6101C/01/15-16/T-0173/12AA Dated 17.06.2015.

  
(ANIL KUMAR)

आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद  
Commissioner of Income Tax (Exemptions), Ahmadabad

प्रतिलिपि :

- (1) उक्त आवेदक को / Above Applicant
- (2) अपर आयकर आयुक्त (छूट) रेन्ज-2, अहमदाबाद
- (3) उप आयकर आयुक्त (छूट), रेन्ज-2, अहमदाबाद
- (4) गार्ड फाईल



(ANUPSINGH MEENA)

आयकर अधिकारी (मुख्यालय)(छूट),  
Income tax Officer (HQ)(E)

कृते आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद

For Commissioner of Income Tax (Exemptions), Ahmedabad

